न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—325/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/325)

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोरधन जाति ढोली (फौत जरिए वारिस) 1/1 रामचन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण आयु 48 वर्ष जाति ढोली निवासी ग्राम केसरपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद राजस्व वाद संख्या 132/2012

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः—16.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 132/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2024 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/प्रार्थी ने राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 29.11.2024 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 132/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 29.11.2024 को केवल इस आधार पर पारित की गयी कि भूमि गैर खातेदारी दर्ज की गयी किन्तु आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गयी जबकि दावाकृत भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा आधिपत्य लगातार चला आ रहा था को सिवायचक गलत अंकन की गयी को दूरुस्ती किया जाना न्ययोचित था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपीलाधीन निर्णय डिक्री पारित किया गया जो निरस्त होने योग्य है। दावाकृत भूमि में किसी प्रकार से साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराये गये और ना ही साक्ष्य सूनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया केवल मात्र सिवायचक भूमि के आधार पर अपीलान्टगण की पुश्तैनी नियमनशुदा भूमि के महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर निर्णय डिक्री पारित की गयी जो निरस्त होने योग्य है। मौके पर अपीलार्थी/प्रार्थी का कब्जा आधिपत्य है एवं अपीलार्थी प्रार्थी की पुश्तैनी आवंटनशुदा भूमि होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण एंव सुविधा का संतुलन होने से अपीलार्थी के पक्ष में निहित होने से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.11.2024 को निरस्त किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 132/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि खतौनी बंदोबस्त संवत 2027 में वादी गैर खातेदार दर्ज है किंतु आवंटन शर्तो की पालना नहीं किए जाने के कारण भूमि सिवायचक दर्ज है। वादी के नाम आवंटन आदेश का राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं है। वादी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही कर समय–समय पर बेदखल किया गया है। सिवायचक भूमि पर खातेदारी दिया जाना राजहित में उचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने के विधि सम्मत आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 91, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम कर व उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 29.11.2024 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर वादी/अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 449 के वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन खसरा नम्बर 542/862 के वर्तमान आधार जमाबंदी में बने हाल खसरा नम्बर 480 व 481 को अलॉट एवं चौसाला जमाबंदी अनुसार वादी के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अंकन हेतु तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण एवं

गलत प्रविष्टि को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम अंकन किए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2066–2069 के अनुसार खसरा नम्बर 480 रकबा 0.81 व खसरा नम्ब्र 481 रकबा 0.81 सिवायचक खाते में दर्ज है। सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2027 में वादी गैर खातेदार दर्ज है। ग्राम केसरपुरा के चौसाला खसरा नम्बर 449 में चौसाला जमाबंदी संवत 2023–2026 में उक्त खसरा नम्बर के आगे वादी के नाम आवंटन का नोट अंकित है, परंतु उक्त अंकन किसी सक्ष्म नामांतरकरण व आदेश से दर्ज नहीं किया जाकर सीधे ही जमाबंदी में अंकन किया गया है। जिसकी कोई प्रमाणिकता नहीं होने से उक्त आराजीयात का वादी/अपीलांट को आवंटन विधिसम्मत हुआ हो यह सिद्ध नहीं होता है, ना ही वादी/अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात के संबंध में कोई विधिक दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए है।

पैरोकार सरकार द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में मौका रिपोर्ट मय जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार खतौनी बंदोबस्त संवत 2027 में वादी गैर खातेदार दर्ज है किंतु आवंटन शर्तो की पालना नहीं किए जाने के कारण भूमि सिवायचक दर्ज है। वादी के नाम आवंटन आदेश का राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं है। तहसीलदार द्वारा वादी/अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिए जाकर समय–समय पर कार्यवाही की जाकर उक्त आराजीयात से बेदखल किया गया है। इन समस्त तथ्यो से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात पूर्णरूप से सिवायचक है। जिसमें वादी/अपीलांट का किसी प्रकार से हक अधिकार निहित नहीं है।

वादी/अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात पर अतिक्रमी होने से खातेदारी अधिकारों की मांग की गई है। परंतु राजस्व दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्टतया प्रतीत होते हैं कि विवादित आराजीयात चौसाला जमाबंदी में सिवायचक खाते में दर्ज चली आ रही है। वादी/अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष एक अतिक्रमी की हैसियत से अपील प्रस्तुत की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार एक अतिक्रमी न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

माननीय मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया।

2024(1)डीएनजे (रेवे0)पेज 613

NO KHATEDARI RIGHTS CAN BE GRANTED ON THE BASIS OF ADVERSE POSSESSION.

वर्तमान प्रकरण में माननीय मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं।

अपीलांट अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को राजस्व दस्तावेजों के माध्यम से साबित कर पाने में विफल रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में विधिसंगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य प्रतीत होती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 132/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर